संख्या— 49 /XXVII (1)/2010

प्रेषक,

एल०एम० पन्त,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—1 देहरादून: दिनांक: 19 जनवरी 2010

विषय—12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर वर्ष 2009—10 के लिए समस्त जिला पंचायतों को द्वितीय किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2009—10 की द्वितीय किश्त के कुल धनराशि रू0 32400000.00 (रू0 तीन करोड़ चौबीस लाख मात्र) को संलग्नक अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते है:—

2— संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।

1— 12वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से परिसम्पत्तियों के निर्माण के साथ—साथ स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पेयजल योजनाओं का पंचायतों द्वारा जनसहभागिता के आधार पर अनुरक्षण किया जाये और उनका संचालन किया जाये।

2— जिला पंचायतें अन्तर क्षेत्र पंचायतीय पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण, पथ प्रकाश की व्यवस्था करेंगी तथा उन्हें प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में आवर्ती लागत व्यय का 50 प्रतिशत हिस्सा वसूल करना चाहिए।

3—संक्रमित धनराशि से विकास सम्बंधी निर्माण कार्य कराए जा सकेंगे। 12वें वित्त आयोग ने अपेक्षा की है कि पंचायती राज संस्थाओं को इस धनराशि का उपयोग सेवाएं प्रदान करने हेतु किया जाना चाहिए, जैसे— जलापूर्ति तथा स्वच्छता। पंचायतों को स्वजलधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

4—संक्रमित धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2010 तक किया जाना है। इसके बाद उपयोग अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

5— संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

6— कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

7—संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

8– स्वीकृत धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

9– उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि संलग्न प्रारूप पर) भी भेजना होगा।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–196–जिला पंचायतें/ परिषदें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102–बारहवीं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा। रू0 31917773 (रू0 तीन करोड़ उन्नीस लाख सत्रह हजार सात सौ तिहत्तर मात्र) की धनराशि बजट प्राविधान से तथा रू0 482227 (रू0 चार लाख बयासी हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) की धनराशि संलग्नक बी0एम0–15 के अनुसार वहन की जायेगी।

संलग्नक– यथोक्त/

भवदीय,
18/1/2010
(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

संख्या 49(1)/(XXVII) (1)/2010, तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, प्रथम तल सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स नई दिल्ली।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,
18/1/2010
(एल0एम0 पन्त)
सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्या– 49 /XXVII(1)/2010 दिनांक 15 जनवरी,2010 का संलग्नक।

12वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु देय अनुदान की द्वितीय किश्त का फंकगण।

क्र०सं०	जिला पंचायत	द्वितीय किश्त (धनराशि रू० में)
1	2	3
1	अल्मोड़ा	2769169
2	बागेश्वर	981290
3	चमोली	2306826
4	चम्पावत	834135
5	देहरादून	2655645
6	हरिद्वार	3641771
7	नैनीताल	1843653
8	पौड़ी गढ़वाल	6747794
9	पिथौरागढ़	2378304
10	रूद्रप्रयाग	1019164
11	टिहरी गढ़वाल	2702865
12	उत्तरकाशी	1780611
13	ऊधमसिंह नगर	2738573
	योग:–	32400000

(रू० तीन करोड़ चौबीस लाख मात्र)

15/1/2010

(एल०एम० पन्त)

सचिव, वित्त

(जैसा कि उल्लेख प्रस्तर–178 में है)

नियंत्रक अधिकारी– प्रमुख सचिव, वित्त | प्रशासनिक विभाग– वित्त विभाग | अनुदान संख्या:– 07

(धनराशि हजार में)

बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक जिससे धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है।	मानक मदवार वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (समर्पण धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानांतरित किया जानी है तथा धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02 पंचायती राज संस्थाएं–198– ग्राम पंचायतें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं–0102– तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–100000	163206	0	4794	3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02 पंचायती राज संस्थाएं–196– जिला पंचायतें/परिषदें 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं–0102– तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–64800	65300	167500	जिला पंचायतों को समनुदेशन के भुगतान हेतु।
168000	163206	0	4794	64800	65300	167500	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर–150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

18/1/2010

(एल०एम० पन्त)
सचिव, वित्त

संख्या:–49-A/ XXXVII(1)/2010 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

3– समस्त जिला मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

18/1/2010

(एल०एम० पन्त)
सचिव, वित्त